संपादकीय जागरण

सोमवार, 6 नवंबर, 2017 : मार्गशीर्ष कृष्ण 3 वि. 2074

बड़ी बात को थोड़े में कहना ही चतुराई है

धर्मनिरपेक्षता की विकृति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जारी पाखंड पर जो प्रहार किया उस पर हैरान-परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि गंभीरता से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि इस देश को धर्मनिरपेक्षता रूपी विकृति ने बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। एक ऐसे देश में जो सर्वधर्म समभाव से प्रेरित और संचालित हो और जिसने वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श बना रखा हो वहां सेक्युलरिज्म की अवधारणा की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। सेक्युलरिज्म शुद्ध रूप से विजातीय अवधारणा है जिसका भारत से कहीं कोई लेना-देना नहीं। यूरोप में सेक्युलरिज्म की अवधारणा इसलिए पनपी, क्योंकि नागरिक सत्ता को चर्च के दुष्प्रभाव से बचाने की आवश्यकता थी। भारत में ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से इसके बावजूद सेक्युलरिज्म को एक आदर्श के रूप में अपनाने का काम किया गया। इससे भी खराब बात यह हुई कि सेक्युलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता का पर्याय समझा गया। चूंकि धर्म का अर्थ कर्तव्य है इसलिए उस पर प्रश्न खड़े करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। सेक्युलरिज्म को पंथनिरपेक्षता के रूप में लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसे धर्मनिरपेक्षता समझ लिया गया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानवमात्र के लिए जो आदर्श कर्तव्य हैं उनकी अनदेखी हुई। हालांकि भारत सेक्युलरिज्म की विकृतियों से अच्छी तरह दो-चार हो चुका है, लेकिन उन पर इसलिए कहीं कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि इस विजातीय अवधारणा को श्रेष्ठ मानना एक चलन बन गया है। भारत जब तक इस चलन से मुक्त नहीं होता तब तक सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा।

इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि धर्मनिरपेक्षता रूपी सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देने का काम किया गया है। अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने सामाजिक ताने-बाने को जैसा नुकसान पहुंचाया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। गलती केवल यही नहीं हुई कि सेक्युलरिज्म के नाम पर एक विजातीय अवधारणा को भारतीय समाज पर थोप दिया गया, बल्कि यह भी हुई कि एक ओर तो यह कहा गया कि भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि भिन्न उपासना पद्धति वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इन विशेष अधिकारों का न केवल जमकर दुरुपयोग किया गया, बल्कि उनके जरिये वोट बैंक की राजनीति को भी प्रश्रय दिया गया। यह राजनीति इतनी अधिक फली-फूली कि हिंदू धर्म के सहोदर-सहभागी समझे जाने वाले जैन धर्म के अनुयायियों ने स्वयं को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने की मांग की। चूंकि राजनीतिक संकीर्णता का बोलबाला था इसलिए इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। अच्छा हो कि देश के नीति-नियंता और विचारक इस पर चिंतन-मनन करें कि सेक्युलरिज्म ने देश का भला किया है अथवा समाज में विभेद करने का काम किया है। बेहतर होगा कि धर्म के मर्म को समझने की कोशिश की जाए, न कि विभिन्न उपासना पद्धतियों के कर्मकांडों को धर्म का पर्याय माना जाए। यह उपासना पद्धति के कर्मकांडों को धर्म के रूप में लिए जाने का ही दुष्परिणाम है कि कर्मकांड को ही धर्म समझ लिया गया है और इसी कारण कर्मकांड रूपी कथित धार्मिक क्रियाकलाप एक तरह के शक्ति प्रदर्शन में परिवर्तित हो रहे हैं।

आधुनिक होती पुलिस

देर से सही, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस के दिन फिरने वाले हैं। पुलिस के बेड़े में अत्याधुनिक असलहे बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। चलन से बाहर हो चुकी भारी-भरकम थ्री-नाट-थ्री (0.303 बोर) रायफल भी नहीं ढोनी पड़ेगी। पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक इनसास रायफलें दी जा रहीं है। उन्हें एक्स कैलीबर रायफल भी मिलेगी। अभी तक प्रदेश पुलिस के पास कुल 58547 थ्री-नाट-थ्री रायफल थीं। इनमें 47896 को इनसास रायफल से बदला जा चुका है। पुलिस के पास 3038 एक्स कैलीबर रायफलें भी आ चुकी हैं।

> पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं में पुलिस को सक्षम बनाना कभी नहीं रहा। इसका नतीजा भी सबके सामने है

पुलिस सुधार की दिशा में इसे एक बड़ा और अहम कदम माना जा सकता है, क्योंकि कुछ वर्षों में संगठित अपराध जिस तरह बढ़े हैं और जिस तरह अपराधी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसके सामने पुलिस के बाबा आदम के हथियार नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई बार तो मौके पर इन हथियारों के न चलने से पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। वस्तुतः पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं में पुलिस को पर्याप्त सक्षम बनाना कभी नहीं रहा। इसका नतीजा भी सबके सामने है। पिछली सरकार के कार्यकाल को तो जंगलराज तक कहा जाने लगा था, लेकिन मौजूदा योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल कर रखा है। यही कारण है कि पुलिस महकमे के लिए एक-एक कर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए और अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस पूरी क्षमता और सक्षमता के साथ अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण में कोई कोर-कसर नहीं रखेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कारोबारी सुगमता में भारत की बेहतर रैंकिंग से देश में निवेश और रोजगार के अवसरों में अपेक्षित बढ़ोतरी होगी?

आज का सवाल

क्या विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता सूची पर विपक्ष का विरोध राजनीति से प्रेरित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अशक्त करता है अल्पसंख्यकवाद

हृदयनारायण दीक्षित

मजहबी विशेषाधिकार दोधारी तलवार होते हैं जो सुविधाभोगी लोगों में अलगाववाद का भाव भरते हैं तो सुविधा न पाने वाली बहुसंख्या को भी उत्तेजित करते हैं

अवधेश राजपूत

शब्द का स्पष्ट अर्थ जरूरी है। पतंजलि ने सम्यक अर्थ के अनुसार ही शब्द प्रयोग के निर्देश दिए हैं। दार्शनिक वाल्टेयर ने उचित बहस के लिए शब्द परिभाषा को अनिवार्य बताया है। कानून की व्याख्या में परिभाषाओं का ही महत्व है। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 366) में प्रयुक्त 30 महत्वपूर्ण शब्द पदों की परिभाषाएं हैं। इस अनुच्छेद में सुस्पष्ट शब्दों पेंशन, उधार लेना, राज्य और रेल की भी परिभाषाएं हैं, लेकिन संविधान में महत्वपूर्ण रूप से उल्लिखित 'अल्पसंख्यक' शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। किसी कानून में भी 'अल्पसंख्यक' सुपरिभाषित नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में बना था। इस कानून में कहा गया कि 'अल्पसंख्यक वह समुदाय है जो केंद्र सरकार अधिसूचित करे।' ऐसी पहचान के लिए अधिनियम में कोई मानक भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के शीर्षक क्रमशः 'अल्पसंख्यक वर्गों के हित संरक्षण व शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन' हैं। आश्चर्य है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी सुविधाएं देते समय भी 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा नहीं दी। नतीजा सामने है। भारी संख्या के बावजूद मजहबी संप्रदाय अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक होने की मांग लगातार बढ़ी है।

राष्ट्र सर्वोपरि सांस्कृतिक व संवैधानिक संप्रभु सत्ता है। अल्पसंख्यक पहचान का विचार बहुत बाद में आया। माना गया कि युद्ध या किसी अंतरराष्ट्रीय करार के कारण किसी राष्ट्र क्षेत्र के निवासी जबरदस्ती दूसरे देश के निवासी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सहमति के बिना राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से सभ्यता व संस्कृति प्रभावित होती है। उनकी सामूहिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक ही उन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। भारत विभाजन के समय तत्कालीन मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश मांगा। यहां शेष रहे मुस्लिमों ने अपनी इच्छा से भारत को चुना। यहां सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं। अंतरराष्ट्रीय अर्थ में भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी अल्पसंख्यकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नागरिक और राजनीतिक अधिकार अंतरराष्ट्रीय करार के अनुच्छेद 27 के अनुसार 'उन राज्यों में जिनमें जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ऐसे अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित होकर अपनी स्वयं की संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म को मानने और उस पर आचरण करने या अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।' यह करार 1966 में लागू हुआ था, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने 1949 में ही अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान कर लिया था। आखिरकार 'अल्पसंख्यक' होने का अर्थ क्या है? क्या 51 प्रतिशत को बहुसंख्यक कहेंगे और 49 को अल्पसंख्यक? इस गणना का आधार क्या होगा? क्या धर्म, पंथ, मजहब या रिलीजन के आधार पर ही गणना करेंगे? क्या भाषा के आधार पर अल्पसंख्या या बहुसंख्या की पहचान करेंगे? मूलभूत प्रश्न है कि किसी समूह विशेष को अल्पसंख्यक घोषित करने के मानक क्या हैं? आखिरकार 21वीं सदी के भारत में सभी नागरिकों को एक समान मौलिक अधिकार देने वाले राष्ट्र में भी कोई अल्पसंख्यक क्यों है? संप्रति आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कराने की मांग वाली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायपीठ के विचार में है। यहां सवाल और भी हैं। क्या किसी पंथिक या मजहबी समुदाय की संख्या की गणना में भारत को ही इकाई माना जाए? या राज्यों को? पंथ या मजहब को ही अल्पसंख्या की गणना का आधार क्यों माना जाना चाहिए? भारतीय राष्ट्र राज्य ने उद्देशिका से लेकर सभी संवैधानिक प्रावधानों में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। तब अल्पसंख्यक होने का औचित्य क्या है?

भारत की अल्पसंख्यक समस्या कट्टरपंथी सांप्रदायिकता से पैदा हुई। ब्रिटिश सत्ता ने इसे बढ़ाया। कम्युनल अवॉर्ड इसी षड्यंत्र का परिणाम था। भारत टूट गया। संविधान निर्माता अल्पसंख्यक अलगाववाद की व्यथा में थे। संविधान सभा ने सरदार पटेल के सभापतित्व में 'अल्पसंख्यक अधिकार समिति' बनाई। संविधान सभा में पीसी देशमुख ने ठीक कहा था कि 'इतिहास में अल्पसंख्यक से अधिक क्रूरतापूर्ण और कोई शब्द नहीं है। इसी शैतान के कारण ही हमारा देश बंट गया। प्रसिद्ध विधिवेत्ता एमए आयंगर ने तुर्की के अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संधिपत्र का उल्लेख किया कि गैर-मुसलमान तुर्की नागरिक भी मुसलमानों के समान ही नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करें।' उन्होंने कहा, 'मैं अल्पसंख्यक शब्द को ही पसंद नहीं करता।' तुर्की ने एक समान अधिकार से काम चलाया। भारत विशेषाधिकार देकर भी भारी परेशानी में रहता है।

संविधान सबसे बड़ा मार्गदर्शी है। कायदे से देखा जाना चाहिए कि संविधान सभा क्या चाहती थी? उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को लागू करना हमारा कर्तव्य है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था, 'यदि हम एक राष्ट्र चाहते हैं तो हम मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता नहीं दे सकते।' बिल्कुल सही कहा था। भारत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक करार का परिणाम नहीं है। यह संप्रभु संवैधानिक-सांस्कृतिक सत्ता है। सभा में तजम्मुल हुसैन ने भी ठीक कहा था 'हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। यह शब्द अंग्रेजों ने निकाला था, वे चले गए। अब इसे भी विदाई दी जाए।' संविधान निर्माता मजहबी अल्पसंख्यकवाद के विरुद्ध थे। पंथिक और मजहबी विशेषाधिकार दोधारी तलवार होते हैं। वे एक धार से सुविधाभोगी लोगों में अलगाववाद का विचार देते हैं और दूसरी धार से सुविधा न पाने वाली बहुसंख्या को भी उत्तेजित करते हैं। अनेक समूहों द्वारा अल्पसंख्यक सुविधा की सूची में शामिल होने की स्वाभाविक वृत्ति इसी का परिणाम है।

अल्पसंख्यक अधिकारों ने समता के मूल अधिकार का अतिक्रमण किया है। अनुच्छेद 15 में 'धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का निषेध' है, लेकिन अल्पसंख्यक पहचान और विशेषाधिकार का आधार धर्म है। राजकोष से संचालित योजनाओं के लाभ में सबका समान अधिकार है, लेकिन अल्पसंख्यक पहचान के आधार पर अलग सुविधाएं हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं स्वायत्त हैं। उन्हें तमाम अतिरिक्त सुविधाएं हैं। केंद्र प्रतिवर्ष हजारों अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भारी अनुदान देता है। पंथिक मजहबी कार्यों के लिए भी सब्सिडी है। ऐसी सुविधाओं के चलते शिक्षा संस्थान चलाने वाले अन्य संगठन भी अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता का प्रयास करते हैं। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों और महिलाओं के लिए समाज कल्याण योजनाएं जरूरी हैं। पिछड़ों में अनेक मुस्लिम जातियां भी हैं। गरीब महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ भी सभी संप्रदायों को मिलता है। गरीबी और अभाव पंथिक या मजहबी नहीं होते। राष्ट्र राज्य का उद्देश्य 'सबका साथ सबका विकास' ही होना चाहिए। इसी उद्देश्य में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हित भी सम्मिलित हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जिन्ना के मकसद को भूला पाकिस्तान

राजीव शुक्ला

> जिन्ना अच्छी तरह समझते थे कि महजबी कट्टरता से उनका देश तबाह हो जाएगा। आज पाकिस्तान उसी राह पर है

दीना वाडिया की मौत के बाद मोहम्मद अली जिन्ना से सीधे जुड़े परिवार में कोई नहीं बचा है। उनकी पत्नी रत्ती और बहन फातिमा का निधन बहुत पहले हो चुका है। जिन्ना की बेटी के निधन पर पाकिस्तानी अखबारों ने इसे बहुत प्रमुखता से छापा, लेकिन मातम कहीं नहीं मनाया गया। इमरान खान ने ट्वीट पर जरूर श्रद्धांजलि दी। वैसे भी जिन्ना की बेटी को पाकिस्तान से जरा भी लगाव नहीं था। अपनी 98 साल की जिंदगी में वह केवल दो बार पाकिस्तान गई थीं। एक बार अपने पिता के निधन पर और दूसरी बार भारत-पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला 2004 के दौरान। हालांकि पिता और पुत्री में बेहद लगाव था, लेकिन एक पारसी से शादी करने के कारण सिर्फ लिहाज में ही जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान नहीं बुलाया। जिन्ना को डर था कि अभी-अभी उन्होंने मुसलमानों के नाम पर एक मुल्क बनवाया है और यदि पारसी से शादी करने वाली बेटी वहां आई तो कहीं अवाम पर उसका प्रतिकूल असर न हो जाए। इतना जरूर था कि बाद में जिन्ना अपनी बेटी को पाकिस्तान जरूर बुलाते और दोनों में मिलना-जुलना होता रहता, लेकिन पाकिस्तान बनने के एक साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई।

वैसे पाकिस्तान ने भी जिन्ना के साथ बहुत न्याय नहीं किया। वह वहां के गवर्नर जनरल थे और उनकी मौत क्वेटा से आते हुए सही इलाज न मिलने के कारण हो गई। यहां तक कि वह ढंग से अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए और उनकी गाड़ी काफी देर तक एक रेलवे क्रॉसिंग पर ही फंसी रही और जब तक वह अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिन्ना ने एक बार कहा था कि बहुत लोग पाकिस्तान बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सिर्फ ढाई लोगों ने ही पाकिस्तान बनवाया है। एक मैं और मेरी बहन फातिमा और आधा श्रेय मेरे टाइपिस्ट को जाता है। उनके इस बयान पर लियाकत अली खान जैसे बड़े नेता भी चुप होकर रह गए थे। जिन्ना की मौत के बाद तो उनके परिवार के साथ बहुत बदसलूकी हुई। जिन्ना की बहन फातिमा जब चुनाव लड़ीं तो पाकिस्तान की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया और वह अयूब खान की पार्टी से हार गईं। इस गम में वह कराची में गुमसुम होकर एकाकी जीवन बिताने लगीं और एक दिन उनकी हत्या कर दी गई। आज तक नहीं पता चला कि फातिमा को किसने मारा।

जब पिता और बुआ के साथ ऐसा सुलूक हुआ तो बेटी दीना के मन में पाकिस्तान से लगाव कैसे हो सकता था। उनके अंदर नफरत सी रही और शायद यही वजह थी कि वह पाकिस्तान नहीं गईं। भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान मैं लाहौर स्टेडियम में उनसे मिला। वहां मुशर्रफ सहित पाकिस्तान के बड़े-बड़े लोग उन्हें देखकर अवाक थे और लाइन में लगकर उन्हें आदाब कहने आ रहे थे।

फातिमा की याद में सिर्फ एक छोटा सा पार्क लाहौर में बना दिया गया है जिसे उनकी एकमात्र यादगार माना जाता है। इसके अलावा पूरे देश में उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और तो और पूरा पाकिस्तान दिन भर कायदेआजम का नाम लेता है, लेकिन जिन्ना की एक भी बात उनके बाद की सरकारों ने नहीं मानी। जिन्ना सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि उस नए देश में सभी हिंदू, सिख और ईसाई उसी आजादी और अधिकारों के साथ रहेंगे और मुसलमानों को उनके ऊपर कोई दर्जा हासिल नहीं होगा या कोई अलग से सहूलियतें नहीं मिलेंगी। हर धर्म के लोगों को अपनी पूजा-पाठ का पूरा अधिकार होगा। हर गैर मुस्लिम को उसकी संपत्ति, जमीन, जायदाद पर पूरा हक रहेगा। लोग इधर से उधर बेदखल नहीं किए जाएंगे। लाहौर की मीनार-ए-पाकिस्तान में आज भी जिन्ना की अगुआई में हुए सम्मेलन का मुस्लिम लीग का वह प्रस्ताव पत्थर पर खुदा हुआ है जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। बहरहाल पाकिस्तान बनने और जिन्ना के मरने के बाद उनकी एक भी बात वहां के हुक्मरानों ने नहीं मानी। लियाकत अली खान ने लोगों के अधिकार छीन लिए और लोगों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तमाम मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों को स्कूलों और बैंकों में तब्दील कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के जन्मस्थान गुजरांवाला के गुरुद्वारे को पुलिस थाने में बदल दिया गया। अभी भी रावलपिंडी में तमाम पुराने मंदिर नजर आते हैं। यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि 13 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बने चौधरी शुजात हुसैन ने इस मामले में बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कटास के पचासों मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और सबमें पुजारी लगाकर पूजा शुरू कराई। कराची व सिंध के मंदिर आज भी वैसे ही कायम हैं और उनमें पूजा पाठ होती है। सिंध में अभी भी लाखों हिंदू रहते हैं इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल पंजाब सूबे में ज्यादा है जहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है। चौधरी शुजात हुसैन के भाई परवेज इलाही जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जब मैंने गुजरांवाला से लौटने के बाद यह बात बताई तो उन्होंने उस समय भारत की पर्यटन मंत्री अंबिका सोनी के सामने महाराजा रणजीत सिंह के जन्मस्थान से थाना हटवाने और उसको फिर से गुरुद्वारे में तब्दील करने के निर्देश दिए।

जिन्ना अच्छी तरह समझते थे कि महजबी कट्टरता से देश तबाह होगा। वह खुद उदारवादी थे। हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत काम किया था, लेकिन बाद में वह अलग मुल्क के बहकावे में आ गए थे। उन्हें अंग्रेजों ने जमकर इस्तेमाल किया और फूट डलवाने का काम किया। आज पाकिस्तान उसी कट्टरता के कारण पूरी तरह तबाही के कगार पर है। वहां कोई विकास नहीं हो रहा है और अब तक कट्टरपंथियों के हाथों 25 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। कोई विदेशी वहां व्यापार करने जाना नहीं चाहता है और पाकिस्तानियों को कोई मुल्क वीजा नहीं देना चाहता है। जिन्ना ने मुंबई में मालाबार हिल में अपना घर साउथ कोर्ट बनवाया था जहां से बंटवारे का सारा काम हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद नेहरू ने भारतीय राजदूत को उनके पास कराची भेजा कि इस घर का क्या होगा? जिन्ना ने उनसे कहा कि नेहरू को बता देना कि इस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है इसलिए उसको बहुत हिफाजत से रखें। उसके बाद नेहरू ने उनकी बात मानते हुए इसे ब्रिटिश दूतावास के लिए दे दिया। बाद में यह घर सार्क सचिवालय को दे दिया गया। सार्क ने इसकी कोई देखभाल नहीं की और आज यह बेहद खराब हालत में है। दीना वाडिया ने इस घर पर अपना दावा किया था। वह मुकदमा आज भी कोर्ट में चल रहा है। मेरी निजी राय है कि सरकार को उस घर को सार्क सचिवालय से वापस लेकर सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को देश के इतिहास की जानकारी होती रहे।

(लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन

जैसे योग, आसन और व्यायाम के बगैर मानव शरीर पुष्ट नहीं होता, वैसे ही मानसिक कार्य के लिए मानसिक योग-व्यायाम भी आवश्यक हैं। जिस मानव में असीम शारीरिक शक्ति हो, लेकिन मन का स्वरूप विकसित न हो उसे पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। क्या आपके मन में बीते हुए दुर्बल और हानिकारक विचार उत्पन्न होते हैं? ऐसे विचारों के लिए अंतःकरण शुद्ध कीजिए। इन्हें स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। समस्त रोग, शोक, दुख, निराशा के विचार मानसिक संस्थान में विषैले कीटाणु उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन का मैल निकाल देने पर व्यक्ति उत्तम रीति से कार्य संपन्न कर सकता है। व्यक्ति का पहला मानसिक दोष उसकी अत्यधिक चंचलता है। स्वभावतः मन चंचल है, किंतु उसका रंग-बिरंगी तितली की भांति एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराना गलत है। कोई तत्व, विशेष विचार या भावना को ले लीजिए। वह चाहे जैसा शुष्क क्यों न हो, उस पर मन की समग्र वृत्तियों को एकाग्र कर दीजिए। मन कुछ समय उपरांत भागेगा, किंतु आप संयम द्वारा उसे बांधे रखिए। विचलित न होइए। इस क्रिया से मन में दृढ़ता आती है।

मनन करना मन का श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। आप सारे दिन किस प्रकार के विचारों का चिंतन-मनन करते हैं? किन-किन विभिन्न वृत्तियों, भावनाओं में दिन गुजारते हैं? अपने मन के दृष्टा बनकर पूर्ण परीक्षा कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य अपने विषय में तुच्छ विचार रखता है, वह भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित है। एक ऊंची भावना मन में लेकर उसी विषय में निमग्न होकर विचरण करें। उसी से आत्मा को स्नान कराते रहें। शुभ विचार से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि का उद्भव नहीं होता। निरोग मन बनाने के लिए अपने ईश्वर तत्व को प्रकाशित कीजिए। आपके मन का प्रत्येक अणु ईश्वर तत्व से अनुप्राणित है। ईश्वर के मार्ग प्रकाश में अवरोध न डालिए। यदि अध्ययन, मनन या साधना के समय यदि मन को दृढ़ता से एकाग्रचित्त न किया जाए तो उसके फल प्राप्त ही नहीं होते। अशुभ चिंतन मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। इससे मन की कार्य करने वाली शक्तियां विनष्ट होती हैं। उत्साह क्षीण होता है। आशावादिता नष्ट होती है। परिणामस्वरूप वह कोई भी अच्छा उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाता।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

नियम-कानून की जटिलता का प्रश्न

कारोबारी माहौल में हो सुधार शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने देश के उद्यमियों और व्यापारियों के समक्ष सरकारी नियमों की जटिलताओं से उत्पन्न दुश्वारियों का जिक्र करते हुए नियमों के सरलीकरण की जो बात की है, वह अपनी जगह ठीक है। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में जटिल और पेचीदे नियमों की ओट में फाइल को उलझाकर उसे सुलझाने के लिए जैसी सौदेबाजी की जाती है, वह जग-जाहिर है। आज उद्योग और व्यापार ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में जटिल नियमों की ओट में इस तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि उद्योग-व्यापार सहित हर उस क्षेत्र में, जिसका सरोकार आम जनता से है, सरकारी नियमों की बाध्यता केवल उस सीमा तक ही रखी जाय जिससे क्षेत्र विशेष में बरती जाने वाली स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अप्रासांगिक हो चुके दशकों पुराने नियमों का पुनरीक्षण कर उनके सरलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। औद्योगिक निवेश की दृष्टि से भी ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि आज हर स्वदेशी या विदेशी निवेशक जटिल नियमों के मकड़जाल के भय से निवेश करने का साहस नहीं जुटा पाता। व्यापार जगत में एकीकृत कर प्रणाली के रूप में लागू होने वाली जीएसटी इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। यद्यपि नियम-कानून से जुड़ी कुछ जटिलताएं इस जीएसटी के क्रियान्वयन में भी महसूस की जा रही हैं, जिसका जीएसटी काउंसिल द्वारा अपेक्षित समाधान किया जा रहा है। नियम-कानून की जटिलता से जुड़े इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आज हर क्षेत्र में जीएसटी जैसी सरलीकृत पद्धति को विकसित करने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

प्रतियोगी परीक्षाएं

हरियाणा में अध्यापकों के लिए निकली पात्रता परीक्षा की फीस सरकार ने पहले जो छह सौ रुपये थी अब एक हजार रुपये रखी है जो कि बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही दूसरे जिलों में परीक्षाओं का आयोजन कराने से समय और धन की हानि होगी वह अलग। इन परीक्षाओं में दिव्यांगजन तथा महिलाएं भी शामिल हैं जो ज्यादा दूर जाने में असमर्थ हैं तथा उनको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आचार्य रामकुमार बघेल शास्त्री, पलवल

गांवों में शिक्षा

भारत की युवा आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। भारत सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाए चला रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच बहुत कम है। हालांकि पिछले पांच साल में गांव में विकास हुआ है। वहां तकनीक पहुंची है, लेकिन सीमित संसाधन व जागरूकता की कमी से ग्रामीण युवा भ्रमित है। ग्रामीण इलाको में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बेहद कमी है। युवाओं में स्कूल पूरा करने के बाद आगे की पढाई करने के लिए जानकारी की कमी है।

आशीष राजपूत, गुरुग्राम

लापरवाही जिम्मेदार

रायबरेली में एनटीपीसी की घटना बेहद दुःखद है। इस संस्थान में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, यह सोचनीय विषय है। हम मान लेते हैं, कि यह एक अचानक हुआ हादसा था, परंतु हादसे के पीछे भी कोई कारण अवश्य होता है। ऐसे हादसे एक दिन में नहीं होते हैं, इसकी नींव कुछ समय पहले पड़ चुकी होती है। कहीं न कहीं लापरवाही जरूर बरती गई है। अगर समय रहते उसको ठीक कर लिया जाता तो इस घटना से बचा जा सकता था। हादसे के बाद ही हम जागते हैं। हर व्यक्ति को अपने दायित्व के प्रति चौकस रहना चाहिए।

श्रीराम, नई दिल्ली

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध

देश में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावों और वादों के बाद भी उनकी हालत जस की तस है। रोज दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और अत्याचार से रूबरू होती हैं अपने देश की महिलाएं। घर से लेकर सड़क तक कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार, शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन शारीरिक शोषण के मामलों का ग्राफ काफी ऊपर है। यौन अपराधों पर सख्त कानूनों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। देश में यौन हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में दर्ज होने वाले हाईप्रोफाइल मामले इसी का सबूत हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से जिन राज्यों की हालत सबसे ज्यादा खराब है वो हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली। भारत में गोवा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित राज्य है। इसके बाद इस सूची में शुमार हैं केरल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनने के बाद भी महिलाओं को देश में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह जानने के लिए ही रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा से सुरक्षा, गरीबी और पुलिस की ओर से मिलनी वाली सहायता आदि को शामिल किया गया था। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां हर तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां भी महिलाओं के साथ अपराध आम हैं। निर्भया कांड के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस घटना के बाद तमाम कानून बनाए गए और सुरक्षा को लेकर तमाम बातें हुईं। इसके बावजूद एक के बाद एक घटनाएं होती ही रहती हैं। सरकार दिल्ली को ही अपराध मुक्त कर ले जाएं तो एक संदेश जाएगा कि एक तो शहर है जो अपराध मुक्त है।

bmojha53@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

एशिया कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में शूटआउट के जरिये चीन को परास्त करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई। बतौर कोच हरेंदर का शानदार प्रदर्शन।

बोरिया मजूमदार@BoriaMajumdar

विराट कोहली 29 साल के हुए हैं और अभी तक उनका करियर जितना शानदार रहा यदि शेष करियर भी वैसा ही रहा तो वह संभवत: बल्लेबाजी के सभी कीर्तिमान अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे।

अयाज मेमन–क्रिकेटवाला@cricketwallah

भारी उत्पादन के बावजूद केवल दो प्रतिशत फल एवं सब्जियां, आठ फीसद मत्स्य उत्पादन, 35 प्रतिशत दूध और मात्र छह फीसद पॉल्ट्री का ही प्रसंस्करण हो पाता है और बड़े पैमाने पर उत्पाद सड़कर खराब हो जाते हैं।

अमिताभ कांत@amitabhk87

वाराणसी छात्र संघ में सभी पदों पर एबीवीपी की हार दर्शाती है कि देश के युवा भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं।

पी चिदंबरम@PChidambaram_IN

कमल हासन पर हमलावर सभी ऐरे–गैरे संगठनों के लिए मेरा यह सुझाव है कि वे किसी अप्रासंगिक व्यक्ति को प्रासंगिक बनाने पर क्यों तुले हैं?

सुहेल सेठ @suhelseth

जनपथ

नेतागीरी में घुसीं चाची चार सौ बीस,
कमल हसन कुछ कह रहे बंधु निकाले खीस।
बंधु निकाले खीस दिखे हिंदू आतंकी,
किससे सीखी बॉस आपने ये नौटंकी?
अच्छा नहीं विवाद राखिए इससे दूरी,
तभी चलेगी बंधु आपकी नेतागीरी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।